


11/10/2010 0/2/वा / 22-40/241/4845

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा ₹ १०५००॥



4730

- 01- श्रीमती प्रेमवती मिश्र विधवा पत्नी श्री मोतीलाल मिश्र उम्र 70 वर्ष  
पेशा-खेती, व गृहकार्य ।
- 02- जय प्रकाश मिश्र तनय स्वर्गीय श्री मोतीलाल मिश्र उम्र 30 वर्ष  
पेशा-खेती ।
- 03- श्री उज्ज्वल प्रकाश तनय स्वर्गीय श्री मोतीलाल मिश्र पेशा-खेती, तीनों  
निवासी गण ग्राम गोदररी, पैपखटा ॥ तहसील- मनगवाँ, जिला-रीवा  
₹ १०५००॥ ----- आवेदकगण

बनाम

- 01- श्री बाबूलाल मिश्र तनय श्री हीरालाल मिश्र निवासी ग्राम गोदररी  
पैपखटा ॥ तहसील- मनगवाँ, जिला-रीवा ₹ १०५००॥
- 02- ₹ १०५० शतन
- 03- रामानुज तनय रामलाल उम्र 60 वर्ष पेशा-खेती, निवासी  
ग्राम गोदररी तहसील- मनगवाँ, जिला-रीवा ₹ १०५००॥
- 04- लक्ष्मी तनय रामलाल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम गोदररी  
पैपखटा ॥ तहसील- मनगवाँ, जिला-रीवा ₹ १०५००॥
- 05- अरुण कुमार तनय माधन प्रसाद मिश्र उम्र 65 वर्ष, पेशा-खेती,  
निवासी ग्राम गोदररी, पैपखटा ॥ तहसील- मनगवाँ, जिला-रीवा  
₹ १०५००॥ ----- अनावेदकगण

नगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश तहसीलदार  
मनगवाँ, जो इतलायाबी प्रकरण क्रमांक-  
17अ-6अ/15-16 में दिनांक -27/9/17  
को पारित किया गया है अन्तर्गत धारा-  
50 म०५० मू- राजस्व संहिता 1959ई.

मान्यवर,

नगरानी के आधार निम्न लिखित है :-

₹ 02०॥

जयप्रकाश मिश्र - श्रीम प्रकाश मिश्र

श्रीमती प्रेमवती के सहयोगी  
पेशा 5-12-17

श्रीमान् आर्य कोट  
₹ १०५० मालिक  
पैपखटा रीवा



4730

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2017 / 4845

जिला-रीवा

श्रीमती प्रेमवती मिश्रा / बाबूलाल मिश्रा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0 चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 17/अ6अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">               (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	